


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C | 6315 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 08 / 2024

श्री अजय कुमार, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 01.05.2024 से 13.05.2024 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 01.05.2024 से वेतन भुगतान प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही न करे अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C | 6316 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री अजय कुमार, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)